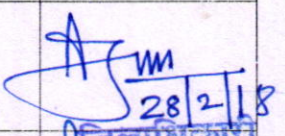
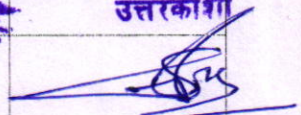
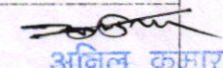


कार्यालय जिलाधिकारी उत्तरकाशी

जिलास्तरीय समिति उत्तरकाशी

आज दिनांक.....28.2.2018.....को जनपद उत्तरकाशी में विकास खण्ड पुरोला के अन्तर्गत मा० मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत कमलेश्वर मन्दिर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव 1.825 है० है। इस सम्बन्ध में वनाधिकारी अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिलाधिकारी उत्तरकाशी द्वारा गठित जिलास्तरीय समिति ।

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	डा० आशीष चौहान	जिलाधिकारी उत्तरकाशी	 28/2/18 जिलाधिकारी उत्तरकाशी
2	श्री आर०पी० मिश्रा	उपवनसंरक्षक टौन्स वन प्रभाग पुरोला	उप वन संरक्षक टौन्स वन प्रभाग, पुरोला
3	श्री जीत सिंह रावत	जिला समाज कल्याण अधिकारी	जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी
4	श्री जितेन्द्र राणा	जिला पंचायत सदस्य टकनौर	
5	श्रीमती अनिता गुसाईं	जिला पंचायत सदस्य कन्सेण	अनिता सदस्या जिला पंचायत-04 कन्सेण-गटवाड़ी, उत्तरकाशी
6	श्री अनिल कुमार	जिला पंचायत सदस्य डख्याटगांव	 अनिल कुमार जिला पंचायत सदस्य वार्ड-16 डख्याटगांव जिला- उत्तरकाशी

40

FORM-I
(for linear projects)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Uttarkashi.

Dated—28.02.2018

No---

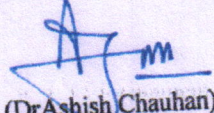
TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98- FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.825 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer, Construction Division, P.W.D. Purola (Uttarkashi) (name of user agency) for Construction of Kamleshwar Temple Motor Road . (purpose for diversion of forest land) in Uttarkashi district falls within jurisdiction of Kandiya, Syaluka, Raun village(s) in Purola tehsil(s).

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.825 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23 to 23.2 annexure
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

ucl: As above.


(Dr. Ashish Chauhan)
District Magistrate Uttarkashi

(49)

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT : UTTARKASHI (U.K.)**

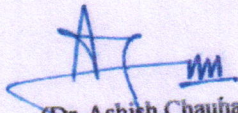
Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Uttarkashi district, constituted under FRA. 2006 was held under the Chairmanship of **Dr. Ashish Chauhan** District Magistrate Uttarkashi on dated 22-2-18 at Time 3:00 Pm Am at Uttarkashi in which application claiming rights in R.F. area measuring 1.825 hect. for the **Construction of Kamleshwar Temple Motor Road** . forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Purola sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

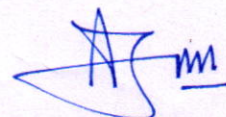
Place; Uttarkashi.

Dated: 28-2-18


(Dr. Ashish Chauhan)
District Magistrate -cum Chairman
District Level Committee Uttarkashi

**It is certfide that-Minute of meetinng of Construction of Road the state Of Uttarakhand regarding
FRA is as Following**

S..No		Remarks
(a)	The complete process for indentificatin and selttlement ofv rights under the FRA has been carried of the entire 1.825 Hect .of reseve forest area proposed for diversion.A copy of record of all consultaions and meeting of the Forest right Committee(s) Sub Division level committee are enclosed as annexure.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonbing to schedulde tribes aqnd other taditional forest dwellers.
(b)	The diversion of Forest land for facilities managed by the Government as reqride undre Section 3(20 of the F.R.A. has been Completed and the villages has given consent to it.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonbing to schedulde tribes aqnd other taditional forest dwellers.No objection Certificate concerned Village regarding construction of aforesaid is Kamleshwar Temple Motor Road in the state of Uttarakhand scheme attached.
(b)	The proposal dose not innvolve recogninied rights of primitive tribal groups and pre-agricultural communities.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonbing to schedulde tribes aqnd other taditional forest dwellers.



(Dr. Ashish Chauhan)
District Magistrater Uttarkashi

परियोजना का नाम :- कमलेश्वर मन्दिर जैयर् मार्ग का निर्माण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम रौन - (काण्डिया)
तहसील पुरोला, जिला (उत्तरखण्ड)

जिला उत्तरखण्ड में अनापत्ति प्रमाण पत्र
मार्ग का नव निर्माण विधानसभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत कमलेश्वर मन्दिर जैयर्

परियोजना के निर्माण हेतु (—) हे० आरक्षित वन भूमि, 0.923 हे० सिविल सोयम भूमि 0.652 हे०, वन पंचायत भूमि — हे०) अर्थात् कुल 1.575 हे० वन भूमि का लो० नि० वि० पुरोला विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रौन द्वारा दिनांक 24/12/11 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रौन, काण्डिया के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो० नि० वि० पुरोला प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/- Saurabh
ग्राम सचिव

ह०/- सुमित्रा
ग्राम प्रधान

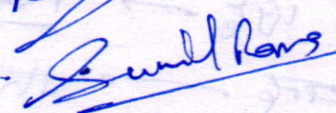
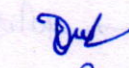
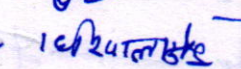
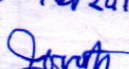
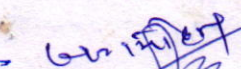
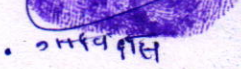
प्रधान
ग्राम पंचायत रौन
पि० ख० पुरोला (उत्तरखण्ड)

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

दिनांक 24/12/04 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत रात

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्रीमती सुमीत्रा देवी - प्रधान ग्रामिका रात	सुमीत्रा
2	श्रीमती विन्दा देवी - पुर्व प्रधान ग्रामिका रात	विन्दा
3	श्री प्रेमदास वन साधु रात	प्रेमदास
4	श्री विमल - प्रसाद विजयवर्मा रात	विमल
5	श्रीमती कविता देवी - उप-प्रधान ग्रामिका रात	कविता
6	श्री विन्दा सिंह - पुर्व प्रधान ग्रामिका रात	विन्दा
7	श्री धनश्याम प्रसाद विजयवर्मा रात	धनश्याम
8	श्री राम प्रसाद विजयवर्मा रात	राम
9	श्री रामेश प्रसाद विजयवर्मा रात	रामेश
10	श्री अमृत प्रसाद विजयवर्मा रात	अमृत
11	श्री विशाल सिंह पठार - ग्रामिका रात	विशाल
12	श्री विशाल सिंह रावत - " -	विशाल
13	श्री 10 नं० रात	10 नं०
14	श्री शान्ती प्रसाद विजयवर्मा रात	शान्ती
15	श्री अमृत प्रसाद देवी - पुर्व प्रधान ग्रामिका रात	अमृत
16	श्री चरित्रा - नंद विजयवर्मा रात	चरित्रा
17	श्री वज्रेश - वल - रात	वज्रेश
18	श्री अमृत प्रसाद विजयवर्मा रात	अमृत
19	श्री अमृत सिंह रात	अमृत
20	श्री अमृत प्रसाद विजयवर्मा रात	अमृत

- (21) = प्रताप सिंह SI. मजम = 
- (22) = मुनील सिंह ————— 
- (23) = भगवान सिंह ————— भगवान सिंह
- (24) = विनेश सिंह ————— 
- (25) = धिरपाल सिंह ————— 
- (26) = शशी सिंह ————— 
- (27) = नव्या सिंह कुप प्रधान ————— नव्या प्रधान
- (28) = जयमोहन ————— 
- (29) = श्रीम सिंह ————— 
- (30) = विक्रम सिंह ————— विक्रम
- (31) = मोहन सिंह ————— 
- (32) = गरीब दास ————— 
- (33) = पतीलाल ————— पति
- (34) = प्रेम लाल ————— प्रेमलाल
- (35) = जयन दास ————— 
- (36) = चतुर् सिंह ————— 
- (37) = भरत सिंह ————— 
- (38) = सुन्दर सिंह ————— सुन्दर
- (39) = सुन्दर सिंह ————— सुन्दर
- (40) = कमल सिंह ————— कमल
- (41) = कमल दास ————— कमलदास
- (42) = राजन दास ————— राजनदास
- (43) = जोरा सिंह ————— जोरा
- (44) = भोमसका ————— 
- (45) = किशोर सिंह ————— 
- (46) = देवेंद्र सिंह ————— 
- (47) = विरेन्द्र सिंह ————— विरेन्द्र

(39) - ਕਿਰ-ਰੁ ਲਿਖ —

(40) = ਰਕੇਸ਼ ਲਿਖ — RAKESH Singh

(41) = ਗੁਰਾ ਚਨ੍ਦ — ਗੁਰਾ ਚਨ੍ਦ

(42) = ਅਨਿਰੁਪਾ — ਅਨਿਰੁਪਾ

(43) = ਸ਼ਰਮਿਸਟਾ — ਸ਼ਰਮਿਸਟਾ

(44) = ਪਦਮਾਵਤੀ — ਪਦਮਾਵਤੀ

(45) = ਮੇਧਾਵਤੀ — ਮੇਧਾਵਤੀ

(46) = ਗੁਰ-ਰੁ ਲਿਖ — ਗੁਰ-ਰੁ ਲਿਖ

दीनदयाल

दिनेशचन्द्र
Naray

भगवन्

म

सिद्ध
सुन्दर

जयन्त
जयन्त

भगवन्

दीन

दीन

शिवाजी महाराज

मोहनलाल

Mamul

रा.दे.रा.

दीन

मोहनलाल
लक्ष्मीलाल

सुरेश
उ.रा.म.रा.

विनोद वि.म.रा.

दीन

दीन

म.दीनराय

शिवाजी महाराज

मोहनलाल

दीन

S.P. Khyal

दीन

शिवप्रसाद

दीन

मोहनलाल

दीन

मोहनलाल

रमेशचन्द्र

रघुनाथचन्द्र

प्रेम

दीन

परियोजना का नाम :-

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पुरोला
 अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
 प्रमाण-पत्र
 उपखण्ड स्तरीय समिति, पुरोला

उपखण्ड पुरोला परिक्षेत्र के अन्तर्गत कमलेश्वर मन्दिर मोटर मार्ग
 (— हे० आरक्षित वन भूमि, — हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि हे०
 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 1.575 हे० वन भूमि) का
श्री. नि. वि. प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित
 जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के
 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पुरोला) की दिनांक 6-1-15 को
 सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
 अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक
 श्री —, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की
 अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | |
|----|----------------------------|---------------------------|--------------|
| 1- | श्री <u>डी. एम. प्रद्व</u> | उपजिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2- | श्री <u>के. सी. वम</u> | उप प्रभागीय वनाधिकारी | सदस्य |
| 3- | श्री <u>जि. ए. वम</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य / सचिव |
| 4- | श्री — | बी०डी०सी० क्षेत्र | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी
 की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया
 कि

कमलेश्वर मन्दिर मोटर मार्ग निर्माण
 परियोजना हेतु 1.575 हे० वन
 भूमि

श्री. नि. वि. प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों
 के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त
 भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग
 हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, पुरोला द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य
 परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008
 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन
 अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया
 है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड फ़ोल्ड परिक्षेत्र के अन्तर्गत कमलेश्वर गाँव गौर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु हे० वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्षयक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-.....
जनपद.....

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्षयक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-.....
जनपद.....

परियोजना का नाम :- कमलेश्वर मन्दिर मोटर मार्ग का निर्माण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम रेवडी, (सयालुका)
तहसील पुरोला, जिला उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला उत्तरकाशी उत्तराखण्ड में विधानसभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत कमलेश्वर मन्दिर मोटर मार्ग का नव निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु (

हे० आरक्षित वन भूमि, ०.१२३ हे० सिविल सोयम भूमि ०.६५२ हे०, वन पंचायत भूमि — हे०) अर्थात् कुल १.५७५ हे० वन भूमि का लीन-फि-वि, पुरोला विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रेवडी, सयालुका द्वारा दिनांक २७-१२-१४ को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, २००६ के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रेवडी, सयालुका के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लीन-फि-वि, पुरोला प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह० /—
ग्राम सचिव

Sawali

ह० /—
ग्राम प्रधान

अनूप

ग्राम पंचायत सयालुका
७०४०-पुरोला (उत्तरकाशी)

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

दिनांकको ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत खालुका (रेवडी)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
① =	भीमन लाल	
② =	गुलाब सिंह	बिमाव सिंह
③ =	दाम सिंह	दाम सिंह
④ =	उपेन्द्र ६।. तबम सिंह	उपेन्द्र सिंह
⑤ =	पप्पु सिंह	पप्पु सिंह
⑥ =	देवेंद्र मण	देवेंद्र
⑦ =	जुप्रवीर लाल	जुप्रवीर
⑧ =	श्रीधरपाल सिंह	श्रीधरपाल
⑨ =	सुखीर सिंह	सुखीर
⑩ =	बेम सिंह	बेम
⑪ =	सरपाल सिंह — सुरपाल सिंह	सरपाल सिंह
⑫ =	प्रताप सिंह	प्रताप सिंह
⑬ =	अनंद सिंह	अनंद सिंह
⑭ =	नन्दा सिंह	नन्दा
⑮ =	हिरवीर सिंह	हिरवीर
⑯ =	इगुवीर सिंह	इगुवीर
⑰ =	गोविन्द सिंह	गोविन्द सिंह
⑱ =	उपेन्द्र सिंह	उपेन्द्र
⑲ =	राजकुमार	राजकुमार
⑳ =	मेहनानाथ सिंह	मेहनानाथ

प्रारूप-30.4

दिनांक 07/07/2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कन्डिया

परियोजना का नाम :- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 244/2013 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा पुरोला में कमलेश्वर मन्दिर मोटर मार्ग का नव निर्माण।

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
01-	जीत पाल सिंह	जीतपाल सिंह
02-	किशोर सिंह	किशोर सिंह
03-	रघुनाथ सिंह	रघुनाथ सिंह
04-	रमेश सिंह	रमेश
05-	अचपाल सिंह	अचपाल सिंह
06-	ब्रह्मपाल सिंह	ब्रह्मपाल सिंह
07-	यशवन्त सिंह	यशवन्त सिंह
08-	यशवीर सिंह	यशवीर सिंह
09-	कुलदीप सिंह	कुलदीप सिंह
10-	धीरपाल सिंह	धीरपाल सिंह
11-	किशन सिंह	किशन सिंह
12-	जगमोहन सिंह	जगमोहन सिंह
13-	बृजमोहन सिंह	बृजमोहन सिंह
14-	चन्द्र मोहन सिंह	चन्द्रमोहन सिंह
15-	रणवीर सिंह	रणवीर सिंह
16-	जगवीर सिंह	जगवीर सिंह
17-	रजवीर सिंह	रजवीर सिंह
18-	लोकेश सिंह	लोकेश सिंह
19-	अमोल सिंह	अमोल
20-	हरिष	हरिष

ग्राम पंचायत सचिव
विठ्ठल पुरोला (उत्तरकाशी)

प्रारूप-30.4

दिनांक 07/11/2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

परियोजना का नाम :- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 244/2013 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा पुरोला में कमलेश्वर मन्दिर मोटर मार्ग का नव निर्माण।

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
21 -	मुकेशदास	मुकेश
22 -	धर्मदास	धर्मदास
23 -	उज्जवल लाल	उज्जवल
24 -	प्रकाश आर्य	प्रकाश
25 -	बरफिया	बरफिया
26 -	रमेश भारती	रमेश
27 -	प्रियम भारती	प्रियम
28 -	सुभाष आर्य	Subash
29 -	मुकेश	मुकेश
30 -	प्रवेश	प्रवेश
31 -	वीरेंद्र सिंह शर्मा	वीरेंद्र सिंह
32 -	रूपाल सिंह	रूपाल सिंह

प्रमाणित
ग्राम पंचायत सचिव
वि०सं० पुरोला (उत्तरकाशी)